सत्यमेव जयते

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 17, बुधवार, *शाके* 1943–अप्रेल 7, 2021

Chaitra 17, Wednesday, Saka 1943- April 7, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्थान सरकार

स्वायत्त् शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 23, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/541 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत बसेडी का राजस्व ग्राम बसेडी-I, बसेडी-II, कन्दपुरा, ग्राम पंचायत तिमासिया का राजस्व ग्राम तिमासिया, मठ बादरी एवं ग्राम पंचायत बरई का राजस्व ग्राम नगला दरवेशा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला धौलपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 22,872 है। यहां जनसंख्या घनत्व 1139 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 26 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र व्यवसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं स्टेट हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति, सहायक अभियन्ता जेविविएनएल, पीएचईडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि कार्यालय, ग्राम न्यायालय, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में ग्राम पंचायत बसेडी को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च, **2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, **2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप-धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत बसेडी के राजस्व ग्राम बसेडी-**I**, बसेडी-**II**, कन्दपुरा, ग्राम पंचायत तिमासिया के राजस्व ग्राम तिमासिया, मठ बादरी एवं ग्राम पंचायत बरई के राजस्व ग्राम नगला दरवेशा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला धौलपुर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका बसेडी जिला धौलपुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत बसेडी के राजस्व ग्राम बसेडी-**I**, बसेडी-**II**, कन्दपुरा, ग्राम पंचायत तिमासिया

के राजस्व ग्राम तिमासिया, मठ बादरी एवं ग्राम पंचायत बरई के राजस्व ग्राम नगला दरवेशा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला धौलपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका बसेडी जिला धौलपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त् शासन विभाग राज0 जयपुर
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 23, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/606 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत मण्डावरी जिला दौसा को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत मण्डावरी जिला दौसा की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 10,798 है। यहां जनसंख्या घनत्व 907 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 40 प्रतिशत है।

साथ ही ग्राम पंचायत मण्डावरी जिला दौसा व्यवसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में, पुलिस थाना, कृषि उपज मण्डी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में ग्राम पंचायत मण्डावरी को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत मण्डावरी विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत**:** राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप**-**धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्रांम पचांयत मण्डावरी जिला दौसा को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका मण्डावरी जिला दौसा के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत मण्डावरी जिला दौसा की वर्तमान सीमायें नगरपालिका मण्डावरी जिला दौसा की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त् शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 23, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/667 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत सरमथुरा जिला धौलपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 21,110 है। यहां जनसंख्या घनत्व 1455 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 80 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र व्यवसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं नेशनल हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय आदि, नेरो गेज रेल्वे स्टेशन, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें, कार्यालय सहायक अभियन्ता जेवीवीएनएल, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में पत्थर व्यवसाय आय का प्रमुख स्त्रोत है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में ग्राम पंचायत सरमथुरा को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत सरमथुरा विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप-धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पचांयत सरमथुरा जिला धौलपुर को एतद्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका सरमथुरा जिला धौलपुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत सरमथुरा जिला धौलपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका सरमथुरा जिला धौलपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

दीपक नन्दी,

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त् शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 23, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/728 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार

द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत जावाल जिला सिरोही को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत जावाल जिला सिरोही की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 10,293 है। यहां जनसंख्या घनत्व 389 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 50 प्रतिशत है।

साथ ही ग्राम पंचायत जावाल जिला सिरोही उपखण्ड सिरोही के ग्रामीण क्षेत्र का सबसे बडा व्यापारिक केन्द्र है एवं एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस चौकी, कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय, अम्बेडकर छात्रावास कृषि उपज गौण मंडी, कार्यालय सहायक अभियन्ता जोविविनिलि एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यहां औद्योगिक क्षेत्र भी प्रस्तावित है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में ग्राम पंचायत जावाल को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत जावाल विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत**:** राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप**-**धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पचांयत जावाल जिला सिरोही को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका जावाल जिला सिरोही के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत जावाल जिला सिरोही की वर्तमान सीमायें नगरपालिका जावाल जिला सिरोही की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त् शासन विभाग राज0 **जयपुर**
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 23, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/791 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत सीकरी जिला भरतपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 17,148 है। यहां

जनसंख्या घनत्व 868 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 40 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं स्टेट हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में पुलिस थाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील कार्यालय आदि, कृषि उपज मण्डी, 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत एवं निर्माणाधीन, कार्यालय रेन्जर वन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग कार्यालय, भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यालय, राजकीय महाविद्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में फर्नीचर एवं मूर्ति बनाने का व्यवसाय आय का प्रमुख स्त्रोत है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में ग्राम पंचायत सीकरी को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत सीकरी विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप-धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पचांयत सीकरी जिला भरतपुर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका सीकरी जिला भरतपुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत सीकरी जिला भरतपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका सीकरी जिला भरतपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त् शासन विभाग राज0 **जयपुर**
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 23, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/854 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत बस्सी जिला जयपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत बस्सी जिला जयपुर की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 26,029 है। यहां जनसंख्या घनत्व 2000 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 65 प्रतिशत है।

साथ ही ग्राम पंचायत बस्सी जिला जयपुर व्यवसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में रेल्वे स्टेशन, रिको इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, सहायक पुलिस आयुक्त, उपखण्ड अधिकारी, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति, सहायक कलेक्टर, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, भू सरंक्षण एवं जल ग्रहण, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी आदि कार्यालय, न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एवं सिविल न्यायाधीश, न्यायालय सिविल जज (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट, ग्राम न्यायालय, कृषि उपज मण्डी, पशु चिकित्सालय, अधिशाषी अभियन्ता बीसलपुर परियोजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेवीवीएनएल, भीमराव अम्बेडकर राजकीय छात्रावास, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में ग्राम पंचायत बस्सी को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत बस्सी विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत**:** राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप**-**धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्रांम पचांयत बस्सी जिला जयपुर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका बस्सी जिला जयपुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत बस्सी जिला जयपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका बस्सी जिला जयपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त् शासन विभाग राज0 **जयपुर**
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 23, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/916 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत अटरू का राजस्व ग्राम अटरू, लक्ष्मीपुरा, ग्राम पंचायत खेडलीगंज का राजस्व ग्राम खेडलीगंज, ग्राम पंचायत रतनपुरा का राजस्व ग्राम रतनपुरा, गोविन्दपुरा, चैनपुरिया, ग्राम पंचायत बंरला का राजस्व ग्राम खेडलीबांसला, ग्राम पंचायत मेरमाचाह का राजस्व ग्राम बेडक्या सम्पूर्ण क्षेत्र जिला बारां को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र

की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 24691 है। यहां जनसंख्या घनत्व 2785 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 30 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र व्यवसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं नेशनल हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप पुलिस अधीक्षक, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय आदि, राजकीय महाविद्यालय, न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्राम न्यायालय, रेल्वे स्टेशन, कृषि उपज मण्डी, ग्रिड सब-स्टेशन एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जवाहर नवोदय आवासीय विद्यालय भी स्थित है। इस क्षेत्र के नजदीक कवाई तहसील अटरू में अडाणी थर्मल पॉवर प्लांट स्थित है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में अटरू को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत**:** राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप**-**धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत अटरू का राजस्व ग्राम अटरू**,** लक्ष्मीपुरा**,** ग्राम पंचायत खेडलीगंज का राजस्व ग्राम खेडलीगंज**,** ग्राम पंचायत रतनपुरा का राजस्व ग्राम रतनपुरा**,** गोविन्दपुरा**,** चैनपुरिया**,** ग्राम पंचायत बंरला का राजस्व ग्राम खेडलीबांसला**,** ग्राम पंचायत मेरमाचाह का राजस्व ग्राम बेडक्या सम्पूर्ण क्षेत्र जिला बारां को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका अटरू जिला बारां के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत अटरू का राजस्व ग्राम अटरू**,** लक्ष्मीपुरा**,** ग्राम पंचायत खेडलीगंज का राजस्व ग्राम खेडलीगंज**,** ग्राम पंचायत रतनपुरा का राजस्व ग्राम रतनपुरा**,** गोविन्दपुरा**,** चैनपुरिया**,** ग्राम पंचायत बंरला का राजस्व ग्राम खेडलीबांसला**,** ग्राम पंचायत मेरमाचाह का राजस्व ग्राम बेडक्या सम्पूर्ण क्षेत्र जिला बारां की वर्तमान सीमायें नगरपालिका अटरू जिला बारां की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त् शासन विभाग राज0 **जयपुर**
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 23, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/981 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। सम्पूर्ण ग्राम पंचायत सपोटरा, राजस्व ग्राम लोकेशनगर, ग्राम पंचायत बापोती के राजस्व ग्राम तुरसंगपुरा, बापोती, मांगरोल सम्पूर्ण क्षेत्र जिला करौली को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या

11,202 है। यहां जनसंख्या घनत्व 790 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 25 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है। इस क्षेत्र में पुलिस थाना, उपखण्ड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय आदि, राजकीय स्नात्कोतर महाविद्यालय, सिविल न्यायालय, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता जेविविएनएल, पीएचईडी कार्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में सपोटरा को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप**-**धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत सपोटरा**,** राजस्व ग्राम लोकेशनगर**,** ग्राम पंचायत बापोती के राजस्व ग्राम तुरसंगपुरा**,** बापोती**,** मांगरोल सम्पूर्ण क्षेत्र जिला करौली को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका सपोटरा जिला करौली के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत सपोटरा**,** राजस्व ग्राम लोकेशनगर**,** ग्राम पंचायत बापोती के राजस्व ग्राम तुरसंगपुरा**,** बापोती**,** मांगरोल सम्पूर्ण क्षेत्र जिला करौली की वर्तमान सीमायें नगरपालिका सपोटरा जिला करौली की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त् शासन विभाग राज0 **जयपुर**
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 24, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/1046 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। राजस्व ग्राम कस्बा बानसूर (ग्राम पंचायत बानसूर), बाढ पुरोहित, बाढ ढेगूवास, बाद धूंधला, बाढ-भावसिंह, माजरा रावत, टोडिया का बास (ग्राम पंचायत लेकडी) सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 25,820 है। यहां जनसंख्या घनत्व 976 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 50 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र में लघु उद्योग स्थित होने से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं स्टेट हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में पुलिस थाना, उपखण्ड कार्यालय, न्यायालय सहायक कलक्टर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, राजकीय महाविद्यालय एंव औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, एसीजेएम न्यायालय, न्यायालय न्यायिक मजिस्टेट, कृषि उपज गौण मण्डी, ग्रिड सब-स्टेशन, अधिशाषी अभियन्ता जेविविएनएल, सहायक अभियन्ता पीएचईडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में बानसूर को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत**:** राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप-धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्व ग्राम कस्बा बानसूर **(**ग्राम पंचायत बानसूर**),** बाढ पुरोहित**,** बाढ ढेगूवास**,** बाद धूंधला**,** बाढ-भावसिंह**,** माजरा रावत**,** टोडिया का बास **(**ग्राम पंचायत लेकडी**)** सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका बानसूर जिला अलवर के नाम से संबोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम कस्बा बानसूर **(**ग्राम पंचायत बानसूर**),** बाढ पुरोहित**,** बाढ ढेगूवास**,** बाद धूंधला**,** बाढ-भावसिंह**,** माजरा रावत**,** टोडिया का बास **(**ग्राम पंचायत लेकडी**)** सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका बानसूर जिला अलवर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त् शासन विभाग राज0 **जयपुर**
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 25, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/1114 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत भोपालगढ एवं बासनी थेडा जिला जोधपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत भोपालगढ एवं बासनी थेडा जिला जोधपुर की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 21,895 है। यहां जनसंख्या घनत्व 274 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 30 प्रतिशत है।

साथ ही ग्राम पंचायत भोपालगढ एवं बासनी थेडा जिला जोधपुर व्यवसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं स्टेट हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय,

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप अधीक्षक पुलिस, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, कार्यालय सहायक अभियन्ता जोविविएनएल, पीएचईडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रिड सब स्टेशन एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में भोपालगढ को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत**:** राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप**-**धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत भोपालगढ एवं बासनी थेडा जिला जोधपुर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका भोपालगढ जिला जोधपुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत भोपालगढ एवं बासनी थेडा जिला जोधपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका भोपालगढ जिला जोधपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त् शासन विभाग राज0 **जयपुर**
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 25, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/1176 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत रामगढ का राजस्व ग्राम रामगढ, ग्राम पंचायत खेडी का राजस्व ग्राम खेडी एवं डोली, ग्राम पंचायत दोहली का राजस्व ग्राम बर्डोद, दोहली, सरहेटा, बाघोडी, यादव नगर, ग्राम पंचायत ललावंडी का राजस्व ग्राम पूठी, ग्राम पंचायत निवाली का राजस्व ग्राम निवाली एवं सोनागढ़, ग्राम पंचायत पिपरोली का राजस्व ग्राम नंगला बलेया, पिपरोली, गोहा एवं चोकी सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 33,194 है। यहां जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 20 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं नेशनल हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, राजकीय महाविद्यालय, वरिष्ठ सिविल न्यायालय व कनिष्ठ खण्ड सिविल न्यायालय, रेल्वे स्टेशन, अधिशाषी अभियन्ता जेविविएनएल, सहायक अभियन्ता पीएचईडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में रामगढ को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप-धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत रामगढ का राजस्व ग्राम रामगढ**,** ग्राम पंचायत खेडी का राजस्व ग्राम खेडी एवं डोली**,** ग्राम पंचायत दोहली का राजस्व ग्राम बर्डोद**,** दोहली**,** सरहेटा**,** बाघोडी**,** यादव नगर**,** ग्राम पंचायत ललावंडी का राजस्व ग्राम पूठी**,** ग्राम पंचायत निवाली का राजस्व ग्राम निवाली एवं सोनागढ़**,** ग्राम पंचायत पिपरोली का राजस्व ग्राम नंगला बलेया**,** पिपरोली**,** गोहा एवं चोकी सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका रामगढ जिला अलवर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत रामगढ का राजस्व ग्राम रामगढ**,** ग्राम पंचायत खेडी का राजस्व ग्राम खेडी एवं डोली**,** ग्राम पंचायत दोहली का राजस्व ग्राम बर्डोद**,** दोहली**,** सरहेटा**,** बाघोडी**,** यादव नगर**,** ग्राम पंचायत ललावंडी का राजस्व ग्राम पूठी**,** ग्राम पंचायत निवाली का राजस्व ग्राम निवाली एवं सोनागढ़**,** ग्राम पंचायत पिपरोली का राजस्व ग्राम नंगला बलेया**,** पिपरोली**,** गोहा एवं चोकी सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका रामगढ जिला अलवर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त् शासन विभाग राज0 **जयपुर**
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 25, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/1238 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के राजस्व ग्राम सुल्तानपुर, ग्राम पंचायत खेडली तंवरान का राजस्व ग्राम झाटोली, ग्राम पंचायत तोरण का राजस्व ग्राम तोरण, ग्राम पंचायत नोताडा का राजस्व ग्राम नोताडा, खण्डगांव तथा ग्राम पंचायत किशोरपुरा का राजस्व ग्राम नापाहैडा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला कोटा को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 24,273 है। यहां जनसंख्या घनत्व 431 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 10 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं स्टेट हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में पुलिस थाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय आदि, कृषि उपज मण्डी एवं

वेयरहाउस (भण्डार गृह), ग्रिड सब-स्टेशन, सहायक अभियन्ता जेविविएनएल, पीएचईडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में सुल्तानपुर को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत**:** राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप**-**धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के राजस्व ग्राम सुल्तानपुर**,** ग्राम पंचायत खेडली तंवरान का राजस्व ग्राम झाटोली**,** ग्राम पंचायत तोरण का राजस्व ग्राम तोरण**,** ग्राम पंचायत नोताडा का राजस्व ग्राम नोताडा**,** खण्डगांव तथा ग्राम पंचायत किशोरपुरा का राजस्व ग्राम नापाहैडा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला कोटा को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका सुल्तानपुर जिला कोटा के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के राजस्व ग्राम सुल्तानपुर**,** ग्राम पंचायत खेडली तंवरान का राजस्व ग्राम झाटोली**,** ग्राम पंचायत तोरण का राजस्व ग्राम तोरण**,** ग्राम पंचायत नोताडा का राजस्व ग्राम नोताडा**,** खण्डगांव तथा ग्राम पंचायत किशोरपुरा का राजस्व ग्राम नापाहैडा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला कोटा की वर्तमान सीमायें नगरपालिका सुल्तानपुर जिला कोटा की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त् शासन विभाग राज0 **जयपुर**
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 25, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/1300 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत पावटा के राजस्व ग्राम पावटा एवं शिवनगर, ग्राम पंचायत प्रागपुरा के राजस्व ग्राम प्रागपुरा तथा ग्राम पंचायत कुनेड के ग्राम कुनेड, ललाना सम्पूर्ण जिला जयपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 33,031 है। यहां जनसंख्या घनत्व 816 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 44 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र व्यवसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं नेशनल हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सहायक अभियन्ता जेविविएनएल एवं अन्य नागरिक

सुविधाएं भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जवाहर नवोदय आवासीय विद्यालय भी स्थित है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में पावटा को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत**:** राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप**-**धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत पावटा के राजस्व ग्राम पावटा एवं शिवनगर**,** ग्राम पंचायत प्रागपुरा के राजस्व ग्राम प्रागपुरा तथा ग्राम पंचायत कुनेड के ग्राम कुनेड**,** ललाना सम्पूर्ण जिला जयपुर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका पावटा**-**प्रागपुरा जिला जयपुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत पावटा के राजस्व ग्राम पावटा एवं शिवनगर**,** ग्राम पंचायत प्रागपुरा के राजस्व ग्राम प्रागपुरा तथा ग्राम पंचायत कुनेड के ग्राम कुनेड**,** ललाना सम्पूर्ण जिला जयपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका पावटा**-**प्रागपुरा जिला जयपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त् शासन विभाग राज0 **जयपुर**
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 23, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/1361 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी कला एवं बामनवास पट्टी खुर्द जिला सवाईमाधोपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 13,397 है। यहां जनसंख्या घनत्व 212 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 12 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है। इस क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय आदि, राजकीय महाविद्यालय, सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेल्वे स्टेशन निर्माणाधीन, सहायक अभियन्ता जेविविएनएल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में बामनवास को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप-धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी कला एवं बामनवास पट्टी खुर्द जिला सवाईमाधोपुर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका बामनवास जिला सवाईमाधोपुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी कला एवं बामनवास पट्टी खुर्द जिला सवाईमाधोपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका बामनवास जिला सवाईमाधोपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त् शासन विभाग राज0 **जयपुर**
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 25, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/1423 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। लक्ष्मणगढ (पूर्ण ग्राम पंचायत), राजस्व ग्राम मौजपुर, बहरपुरी, सजनपुरी, खेडली लोधा, सैमला, लीली एवं सूरजगढ सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 26,103 है। यहां जनसंख्या घनत्व 576 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 20 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं स्टेट हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में पुलिस थाना, उपखण्ड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, एसीजेएम न्यायालय, दूरसंचार भवन, कृषि उपज मण्डी एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में लक्ष्मणगढ को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, **2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप-धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार लक्ष्मणगढ **(**पूर्ण ग्राम पंचायत**),** राजस्व ग्राम मौजपुर, बहरपुरी, सजनपुरी, खेडली लोधा, सैमला, लीली एवं सूरजगढ सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका लक्ष्मणगढ जिला अलवर के नाम से संबोधित किया जायेगा। लक्ष्मणगढ **(**पूर्ण ग्राम पंचायत**),** राजस्व ग्राम मौजपुर, बहरपुरी, सजनपुरी, खेडली लोधा, सैमला, लीली एवं सूरजगढ सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका लक्ष्मणगढ जिला अलवर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार
स्वायत्त् शासन विभाग राज0 **जयपुर**
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 25, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/1485 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 16,629 है। यहां जनसंख्या घनत्व 436 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 33 प्रतिशत है।

साथ ही ग्राम पंचायत लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर व्यवसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं नेशनल हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस थाना, उप तहसील कार्यालय, कृषि उपज मण्डी सब-यार्ड, हवाई पट्टी एवं मिलिट्री स्टेशन, सहायक अभियन्ता जेडीविविएनएल एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में ग्राम पंचायत लालगढ जाटान को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत लालगढ जाटान विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप-धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पचांयत लालगढ जाटान

जिला श्रीगंगानगर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राजस्थान सरकार

स्वायत्त् शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 25, 2021

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/1547 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत उच्चैन, गहलऊ, खरैरा, मुढेंरा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला भरतपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 22,445 है। यहां जनसंख्या घनत्व 540 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 25 प्रतिशत है।

ग्राम पंचायत उच्चैन जिला भरतपुर व्यवसायिक एवं औधोगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। उक्त क्षेत्र में पुलिस थाना, पंचायत समिति कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील कार्यालय आदि कार्यालय, ग्रिड सब स्टेशन, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता पीएचईडी एवं अन्य नागरिक सुविधाए भी विधमान है। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में उच्चैन मुख्यालय पर रिको इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, उपखण्ड कार्यालय, मुन्सिफ कोर्ट, कृषि उपज मण्डी की घोषणा की गई है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष **2020-21** की बजट घोषणा में उच्चैन को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक **351** दिनांक **19.02.2021** द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक **42/2021** दिनांक **18** मार्च**, 2021** द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम**, 2009 (2009** का अधिनियम संख्या **18)** की धारा **3** की उप-धारा **(1)** में प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत उच्चैन**,** गहलऊ**,** खरैरा**,** मुढेंरा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला भरतपुर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस

क्षेत्र को नगरपालिका उच्चैन जिला भरतपुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत उच्चैन, गहलऊ, खरैरा, मुढेंरा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला भरतपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका उच्चैन जिला भरतपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
दीपक नन्दी,
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।